न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी — झंवर लाल (R.A.S)

प्रकरण संख्या : 54/2020

अनवान

1 श्रीमति खेमी पत्नि श्री कालु बलाई उम्र वयस्क निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा

2 नाथु पुत्र पेमा जी बलाई उम्र वयस्क निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा

3 पोखर पुत्र कालु जी बलाई उम्र वयस्क निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ हमीरगढ जिला भीलवाड़ा

4 रतन पुत्र कालु जी बलाई उम्र वयस्क निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा

————प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमति देउ पत्नि गोमा जी बलाई उम्र वयस्क निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
2. प्यारा पुत्र श्रीराम जी बलाई उम्र वयस्क निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
3. भैरू पुत्र गोमा जी बलाई उम्र वयस्क निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
4. श्रीमति उदी पत्नि लक्ष्मण जी बलाई उम्र वयस्क निवासी हमोरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
5. कमला पुत्री लक्ष्मण जी बलाई पत्नि भैरू बलाई उम्र वयस्क निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
6. भैरू पुत्र टेका जी बलाई उम्र वयस्क निवासी हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
7. जालम पुत्र नंगजी बलाई उम्र वयस्क निवासी हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
8. देबी लाल पुत्र लक्ष्मण जी बलाई उम्र वयस्क निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
9. नाथु पुत्र लक्ष्मण जी बलाई उम्र वयस्क निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
10. श्रीमति प्यारी पत्नि घीसु जी बलाई उम्र वयस्क निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
11. जगदीश पुत्र बालु जी बलाई उम्र वयरक निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
12. भगवाना पुत्र लक्ष्मण जी बलाई उम्र वयस्क निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
13. मुन्नी पुत्री लक्ष्मण जी बलाई पत्नि श्रृवण बलाई उम्र वयस्क निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

14. सत्यनारायण पुत्र भंवर लाल जी खटीक उम्र वयस्क निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राजस्थान
16. अशोक कुमार पिता राधेश्याम खटीक निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

———अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::— श्री दिनेश कुमार मण्डोवरा——— प्रार्थीगण अधिवक्ता
अप्रार्थी संख्या 15 राज्य पक्ष तहसीलदार हमीरगढ़

अनुपस्थित :— अप्रार्थी संख्या 01 से 14 व 16

निर्णय

दिनांक::—29.01.2026

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थीयों द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 24.07.2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि सरहद हमीरगढ़, पटवार हल्का हमीरगढ़, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ़, तहसील हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) में स्थित आराजी नम्बर 1273, रकबा 0.2276 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेखों में विधिवत रूप से प्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में ली जाती है तथा प्रार्थीगण की आजीविका का प्रमुख स्त्रोत है। उक्त आराजी तक पहुँचने के लिए एकमात्र पारंपरिक एवं कदीमी मार्ग आराजी नम्बर 1265 (रिकॉर्डेड सरकारी रास्ता) से प्रारंभ होकर प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 1271 से गुजरते हुए विपक्षीगण संख्या 01 से 14 की आराजी नम्बर 1272 एवं 1325 की मेड़ों के सहारे होकर आराजी नम्बर 1273 तक जाता है। इस मार्ग का उपयोग प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वज विगत अनेक वर्षों से निर्बाध रूप से करते आ रहे हैं तथा यह व्यवहार में गाड़ी—गडार के रूप में स्थापित है, जिससे बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, कृषि यंत्र, बीज, खाद एवं उपज का परिवहन किया जाता रहा है। उक्त मार्ग के अतिरिक्त आराजी नम्बर 1273 में आने—जाने हेतु कोई अन्य वैकल्पिक या सुगम रास्ता उपलब्ध नहीं है। हाल के समय में विपक्षीगण द्वारा अनुचित एवं दुर्भावनापूर्ण तरीके से उक्त एकमात्र आवश्यक मार्ग में अवरोध उत्पन्न किए जा रहे हैं, जिससे प्रार्थीगण के कृषि कार्य, फसल बुवाई एवं कटाई, तथा दैनिक आवागमन में गंभीर बाधा उत्पन्न हो रही है। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को मौखिक एवं सामाजिक स्तर पर समझाइश दी गई कि वे मार्ग में अवरोध न करें तथा पारंपरिक रास्ते को यथावत रहने दें, किंतु विपक्षीगण ने स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया और मार्ग को बंद करने का प्रयास जारी रखा। यद्यपि उक्त मार्ग वर्तमान राजस्व नक्शे में पृथक रूप से अंकित नहीं है, तथापि मौके की स्थिति, दीर्घकालीन उपयोग एवं ग्रामवासियों की जानकारी से यह मार्ग वास्तविक एवं प्रचलित सिद्ध होता है। प्रार्थीगण द्वारा संबंधित खातेदारों से आपसी सहमति के आधार पर वैकल्पिक समाधान का प्रयास भी किया गया, परंतु कोई सहमति नहीं बन सकी। परिणामस्वरूप, अपने

विधिक अधिकारों की रक्षा एवं भूमि तक आवागमन सुनिश्चित करने हेतु यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना आवश्यक एवं अपरिहार्य हो गया है।

अतः माननीय न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251–ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 1273 तक पहुँच हेतु उपर्युक्त वर्णित पारंपरिक मार्ग को विधिवत 2 गट्टा चौड़ाई में नया रास्ता घोषित/निर्धारित करने का आदेश प्रदान किया जाए, जो रिकॉर्डेड सरकारी रास्ता आराजी नम्बर 1265 से प्रारंभ होकर आराजी नम्बर 1271 एवं विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1272 एवं 1325 की मेड़ों के सहारे आराजी नम्बर 1273 तक जाता है।

प्रार्थीयों द्वारा दिनांक 17–08–2020 को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को विधिसम्मत रूप से दर्ज रजिस्टर कर लिया गया तथा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर कारण दर्शाने हेतु तलब किया गया। उक्त नोटिस की तामील विधिवत रूप से प्राप्त हो गई, जिसे अभिलेख पर संलग्न किया गया। तथापि, विधिपूर्वक सूचना देने के पश्चात भी अप्रार्थीयों द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए आदेश पारित किए गए। इसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 05 की ओर से उनके अधिवक्ता के माध्यम से विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही को दोतरफा किए जाने हेतु आदेश 09 नियम 07 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए अप्रार्थी संख्या 05 को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। तथापि, समुचित एवं पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद अप्रार्थी संख्या 05 द्वारा विहित समयावधि में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, परिणामस्वरूप उनका प्रस्तुति जवाब का अधिकार समाप्त कर दिया गया। विचाराधीन प्रकरण में आदेश 01 नियम 10 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुआ और अवगत कराया गया कि प्रार्थीया द्वारा अपनी आराजी पर आवागमन हेतु नये रास्ते को राजस्व नक्शे में दर्ज कराने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में न्यायालय के आदेशानुसार तहसीलदार, हमीरगढ़ द्वारा मौके की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उक्त रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि विपक्षी संख्या 06 भैरू लाल पुत्र टेका बलाई ने अपनी भूमि विक्रय कर दी है तथा नामांतरण पश्चात वह भूमि अशोक कुमार पुत्र राधेश्याम खटीक निवासी हमीरगढ़ के नाम दर्ज हो चुकी है।

अतः न्यायहित में आवश्यक है कि उक्त भूमि के वर्तमान खातेदार अशोक कुमार पुत्र राधेश्याम खटीक को इस प्रकरण में विपक्षी पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाए। अतः न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र पर सुनवाई उपरांत अशोक कुमार पुत्र राधेश्याम खटीक निवासी हमीरगढ़ को अप्रार्थी संख्या 16 के रूप में पक्षकार संयोजित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई।

तत्पश्चात, तहसीलदार, जहाजपुर द्वारा प्रार्थीयों की मांग के अनुरूप वांछित मार्ग की वास्तविक स्थिति एवं राजस्व अभिलेखों का स्थलीय निरीक्षण एवं परीक्षण कर नियमानुसार नवीन रास्ता कायम करने हेतु प्रस्ताव संबंधित प्रकरण सहित प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ हल्का पटवारी की प्रतिवेदन रिपोर्ट, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबन्दी नकल आदि समस्त आवश्यक पत्रादि संलग्न की गई हैं। प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार, हमीरगढ़ द्वारा प्रस्तुत नवीन रास्ता कायमी बाबत मौका रिपोर्ट के माध्यम से अदालत को यह बताया कि आराजी नम्बर 1273, रकबा 0.2276 हेक्टेयर, प्रार्थी के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। राजस्व अभिलेख अनुसार आराजी नम्बर 1265 (पीडब्ल्यूडी के नाम) एवं 1271 (सामलाती) से रास्ता दिया जाना उचित नहीं है। आराजी नम्बर 1272 एवं 1325 के वर्तमान उपखण्ड क्रमशः

1272/1, 1272/2, 5240/1325 एवं 5241/1325 हैं। मौके के अनुसार प्रार्थी की भूमि तक पहुंच हेतु 1272/1, 5240/1325 एवं 5241/1325 से ही लघुत्तम व व्यवहारिक मार्ग संभव है। तहसील स्तर पर संपन्न जांच एवं निरीक्षण उपरांत यह प्रतिवेदित किया गया है कि सरहद हमीरगढ़, पटवार हल्का हमीरगढ़, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ़, तहसील हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) में स्थित अप्रार्थीयों की खातेदारी आराजी नम्बर 5241/1325 में से 12 X 5 वर्गमीटर अर्थात 60 वर्गमीटर (0.0060 हेक्टेयर) भूमि प्रस्तावित मार्ग हेतु आवश्यक है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 5240/1325 में से 8 X 5 वर्गमीटर (40 वर्गमीटर = 0.0040 हेक्टेयर) तथा 22 X 2.5 वर्गमीटर (55 वर्गमीटर = 0.0055 हेक्टेयर) भूमि, कुल 95 वर्गमीटर (0.0095 हेक्टेयर) प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त आराजी नम्बर 1272/1 में से 25 X 2.5 वर्गमीटर अर्थात 62.5 वर्गमीटर (0.0063 हेक्टेयर) कुल क्षेत्रफल 218 वर्गमीटर (0.0218 हेक्टेयर) भूमि भाग नवीन सार्वजनिक उपयोग हेतु मार्ग के रूप में प्रस्तावित की गई है, जो प्रार्थीयों की कृषियोग्य भूमि तक निर्बाध पहुँच हेतु अत्यावश्यक, न्यूनतम एवं न्यायसंगत उपाय के रूप में प्रतिपादित है।

प्रार्थीयों के नियुक्त अभिभाषक ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्को से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। प्रार्थीयों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन उपरान्त एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ता मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि :–

1 यह है कि प्रार्थीयों की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु कोई स्थाई, अथवा वैकल्पिक रास्ता मौके पर विद्यमान नहीं है, जिससे प्रार्थीयों का अपनी स्वयं की भूमि पर निर्बाध रूप से पहुंच संभव नहीं है। ऐसी अवस्था में रास्ता प्राप्त करना प्रार्थीयों की आत्यंतिक आवश्यकता बन गया है।

2 यह है कि भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर की गई रिपोर्ट के द्वारा बताया गया मार्ग भू–राजस्व अभिलेखों व नजरी नक्शे के अनुसार प्रार्थीयों की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का निकटतम, सुगमतम व व्यावहारिक रास्ता है। नजरी निरीक्षण व नक्शा अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित हुआ है।

3 यह है कि मामले की जांच हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर की गई रिपोर्ट से यह पुष्ट होता है कि प्रार्थीयों के पास वांछित मार्ग के अतिरिक्त किसी अन्य विकल्प की उपलब्धता मौके पर नहीं पाई गई। इस प्रकार, समस्त परिस्थितियों के संदर्भ में उक्त रास्ता प्रार्थी को वैधानिक रूप से प्रदान किया जाना न्यायोचित, आवश्यक एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(क)(1) के विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक खातेदार को उसकी स्वयं की खातेदारी भूमि तक निर्बाध पहुंच हेतु रास्ता उपलब्ध कराना आवश्यक है, जिसकी अधिकतम चौड़ाई 30 फीट तक मान्य है। तथापि, न्यूनतम क्षति एवं असुविधा के सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए तथा तहसीलदार जहाजपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के हवाले से न्यायालय यह मानता है कि प्रार्थीयों के लिए 5 मीटर चौड़ाई वाले नवीन मार्ग की उपलब्धता ही न्यायोचित, पर्याप्त एवं आवश्यक है।

अतः सरहद हमीरगढ़, पटवार हल्का हमीरगढ़, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ़, तहसील हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) में स्थित अप्रार्थीयों की खातेदारी आराजी नम्बर 5241/1325 में से 12 X 5 वर्गमीटर अर्थात 60 वर्गमीटर (0.0060 हेक्टेयर) भूमि प्रस्तावित मार्ग हेतु आवश्यक है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 5240/1325 में से 8 X 5 वर्गमीटर (40 वर्गमीटर = 0.0040 हेक्टेयर) तथा 22 X 2.5 वर्गमीटर (55 वर्गमीटर = 0.0055 हेक्टेयर) भूमि, कुल 95 वर्गमीटर (0.0095 हेक्टेयर) प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त आराजी नम्बर 1272/1 में से 25 X 2.5 वर्गमीटर अर्थात 62.5 वर्गमीटर (0.0063 हेक्टेयर) कुल क्षेत्रफल 218 वर्गमीटर (0.0218 हेक्टेयर) भूमि से होकर उक्त नवीन रास्ता कायमी किया जाना विधिसम्मत एवं न्यायोचित घोषित किया जाता है।

:: आदेश ::

प्रार्थीयों का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके सरहद हमीरगढ़, पटवार हल्का हमीरगढ़, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ़, तहसील हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) में स्थित अप्रार्थीयों की खातेदारी आराजी नम्बर 5241/1325 में से 12 X 5 वर्गमीटर अर्थात 60 वर्गमीटर (0.0060 हेक्टेयर) भूमि प्रस्तावित मार्ग हेतु आवश्यक है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 5240/1325 में से 8 X 5 वर्गमीटर (40 वर्गमीटर = 0.0040 हेक्टेयर) तथा 22 X 2.5 वर्गमीटर (55 वर्गमीटर = 0.0055 हेक्टेयर) भूमि, कुल 95 वर्गमीटर (0.0095 हेक्टेयर) प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त आराजी नम्बर 1272/1 में से 25 X 2.5 वर्गमीटर अर्थात 62.5 वर्गमीटर (0.0063 हेक्टेयर) कुल क्षेत्रफल 218 वर्गमीटर (0.0218 हेक्टेयर) भूभाग मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा (सार्वजनिक उपयोग हेतु) नवीन मार्ग कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमल–दरामद किया जावें।

यह आदेश तभी प्रभावी माना जाएगा जब तहसील हमीरगढ में प्रचलित डी.एल.सी. दर के अनुसार प्रभावित रकबा 0.0218 हेक्टेयर (218 वर्गमीटर) की मूल्यांकित मूल्य राशि की दौ गुना राशि, जिसकी गणना तहसील कार्यालय द्वारा की जाएगी, प्रार्थीयों द्वारा आराजी संख्या 5241/1325, 5240/1325 एवं 1272/1 के वर्तमान खाताधारक के पक्ष में उनके हक एवं हिस्से के अनुपात में अदा कर दी जाएगी अथवा संबंधित राजकोष में जमा करा दी जाएगी। साथ ही तहसीलदार, हमीरगढ को आदेशित किया जाता है कि वे मौके पर जाकर आवश्यक सीमांकन कर रास्ता को पुनः पूर्ववत खुलासा करवाएं एवं प्रार्थीगण को निर्बाध रूप से उक्त मार्ग का उपयोग करने दें। अप्रार्थीगण को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे भविष्य में उक्त रास्ते में किसी प्रकार की बाधा, रुकावट, या हस्तक्षेप न करें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 29.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(झंवर लाल, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ़
जिला–भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला-भीलवाड़ा